"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 143] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल 2017— वैशाख 1 , शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2017

क्रमांक 3729/डी. 82/21-अ/प्रारू./छ. ग./17 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-04-2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 4 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 18क का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) की धारा 18क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"18क. निर्माण, विक्रय आदि का अनन्याधिकार प्रदान करने की शक्ति. -

(1) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य शासन, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी मादक द्रव्य, विकृत स्पिरिटयुक्त निर्मिति या भांग का विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, भण्डारण, क्रय, थोक विक्रय, फुटकर विक्रय या संग्रहण का अनन्याधिकार राज्य शासन, के पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण के किसी भी निगम को प्रदान कर सकेगा.

(2) पूर्वोक्त प्रयोजन हेतु आबकारी आयुक्त, शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, निगम को आवश्यक लायसेंस प्रदान कर सकेगा.

(3) ऐसे लायसेंस प्राप्त होने के पश्चात्, ऐसा निगम पूर्वोक्त प्रयोजनों हेतु अपनी इकाईयाँ, शाखाएं, गोदाम एवं दुकान को ऐसे स्थानों पर तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसा कि आबकारी आयुक्त विनिर्दिष्ट करे, स्थापित कर सकेगा."

निरसन.

3. छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (क्र. 1 सन् 2017) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2017

क्रमांक 3729/डी. 82/21-अ/प्रारू./छ. ग./17. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-4-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 4 of 2017)

THE CHHATTISGARH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 2017

An Act further to amend the Chhattisgarh Excise Adhiniyam, 1915 (No. 2 of 1915).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Excise (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 18A.

2. For Section 18A of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), the following shall be substituted, namely :-

"18A. Power to grant exclusive right for manufacture, sale, etc. -

(1) Notwithstanding anything contained in the Act, the State Government may by general or special order grant exclusive right for the manufacture,import, export, transport, storage, purchase, wholesale, retail sale or collection of any intoxicant, denatured spirituous preparations or hemp to any Corporation wholly owned and controlled by the State Government.

(2) For the aforesaid purpose, the Excise Commissioner, subject to the rules made by the State Government, may grant necessary licence to the Corporation.

(3) For the aforesaid purposes, the Corporation, after receiving such licence, may establish its units, branches, depot and shops at such places and subject to such conditions as the Excise Commissioner may specify."

Repeal.

3. The Chhattisgarh Excise (Amendment) Ordinance, 2017 (No. 1 of 2017) is hereby repealed.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.